न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :— विरेन्द्र कुमार चौबे
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 270/2026</u>
बाढ़ थाना कांड संख्या 32/2025

नितिश कुमार, पिता—विजय यादव उर्फ विजय कुमार, उम्र करीब 30 वर्ष,
साकिन—गुलाब बाग, थाना—बाढ़, जिला—पटना...आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार .... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :— श्री संजय कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :— मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

30.05.2026 काराधीन आवेदक अभियुक्त नीतीश कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बाढ़ थाना कांड संख्या 32/2025, अंतर्गत धारा 103, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा नियमित जमानत आवेदन के वापसी हेतु एक आवेदन दिनांक 29.05.2026 को दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को आज प्रदान किया गया। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पूर्व में आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन सं0 294/2025 दिनांक 21.05.2025 को इसी न्यायालय से खारिज हुआ है। पुनः विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल करना चाहते हैं। अतः नियमित जमानत आवेदन के वापसी हेतू अनुमति दी जाय।

अभियोजन जमानत आवेदन के वापसी हेतू सहमत हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन के साथ दाखिल आवेदन एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करना नहीं चाहते हैं और न्यायहित में विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल करना चाहते हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर आवेदक अभियुक्त नीतीश कुमार का यह नियमित जमानत आवेदन वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ